न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी—श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

दायर तारीख 25.10.2018

वादपत्र संख्या 66/2018

अनवान्

1. श्यामलाल पिता भैरूलाल जाति छीपा उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी माण्डलगढ हाल आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....वादीगण

बनाम्

2. भारमल पिता नन्दा जाति गुर्जर उम्र बालिग व्यवसाय काश्त निवासी आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता वादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांकः— 26/06/2019

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खाते की भूमि मौजा आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 978/19 रकबा 5—00 बीघा, आराजी संख्या 1164/978 रकबा 3—00 बीघा कुल किता 2 रकबा 8—00 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं।

उक्त भूमि से प्रतिवादी का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। फिर भी प्रतिवादी ने आराजी संख्या 978/19 रकबा 5—00 बीघा भूमि पर अपना अवैध कब्जा बनाये रख वादी को उसकी खातेदारी भूमि पर काश्त करने से वंचित रख अनुचित रूप से कृषि लाभ प्राप्त लेने का अधिकार नही होते हुये अतिक्रमी के रूप में प्रतिवादी द्वारा काश्त की जा रही हैं।

वादी ने दिनांक 04.06.2011 को विवादित आराजीयात की पत्थरगढी करवाई गई, जिसमे उक्त आराजीयात में आराजी नम्बर 978/19 रकबा 5—00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी ने नाजायज कब्जा कर रखा हैं तभी से वाद हेतुक उत्पन्न हो सतत रूप से जारी हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। एवं बेदखली की अवधि से कब्जा प्राप्ति तक का क्षति पूर्ति के बदले में मुआवजा प्रदान कराते हुये वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादी दिनांक 09.01.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। तत्पश्चात् दिनांक 06.03.2019 को प्रतिवादी गैर हाजिर रहने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू—1 श्यामलाल छीपा निवासी आरोली को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। इसके अलावा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

पीडब्ल्यू–1 श्यामलाल छीपा निवासी आरोली ने अपने बयान में लिखाया कि उनकी खातेदारी जमीन मौजा आरोली में हैं जिसका रकबा 5–00 बीघा हैं इसकी जमा नकल बन्दी मैने पेश कि है जो प्रदर्श 1 हैं। मेरी खातेदारी भूमि का प्रतिवादी भारमल ने अनावश्यक (नाजायज) कब्जाकर रखा हैं। जो 7–8 साल से हैं। मेने कब्जा हटाने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने कब्जा नही हटाया जमीन 2 टुकड़ो में हैं। 1 टुकड़ा जो 3–00 बीघा का हैं। उस पर जिन्होंने कब्जा कर रखा था उन्होंने कब्जा हटा दिया 5 बीघा वाले खसरा नं0 से प्रतिवादी कब्जा नही हटा रहा हैं जिसके कारण में कास्त करन से वंचित हो रहा हूं। प्रतिवादी का कब्जा हटाया जाकर मुझे कब्जा दिलाया जाए।

प्रकरण में प्रतिवादी की कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से शहादत बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता की सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया हैं वाद की सत्यता बाबत् वादी ने स्वयं वादी के बयान कराये हैं। जमीन पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं। बेदखली की अवधि से कब्जा प्राप्ति तक का क्षति पूर्ति के बदले में मुआवजा दिलाये जाने की भी मांग की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अभिभाषक वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम आरोली स्थित संवत् 2073 से 2076 पर आराजी नम्बर 978/19 रकबा 5–00 बीघा, आराजी नम्बर 1164/978 रकबा 3–00 बीघा भूमि श्यामलाल पिता भैरूलाल छीपा के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। वादी ने अपने वादपत्र में इन्ही आराजीयात पर प्रतिवादी का कब्जा होना अंकित किया हैं। इस सम्बन्ध में पत्थरगढी के पर्चे की नकल प्रस्तुत की हैं जिसमें आराजी नम्बर 978/19 रकबा 5–00 बीघा भूमि पर गौरू, शम्भु, जगदीश, बहादुर पिता पेमा बंजारा निवासी बिलोनाबड़ी एवं भारमल पिता नन्दा गुर्जर निवासी आरोली का कब्जा पाया गया हैं। वादी ने इस न्यायालय में पूर्व एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 प्रकरण संख्या 4/2016 के निम्नलिखित प्रति प्रस्तुत की हैं।जिसमें गौरू, शम्भु, जगदीश, बहादुर पिता पेमा बंजारा के विरूद्ध वादपत्र डिक्री किया जाकर कब्जा हटाने का आदेश पारित किया। पत्थरगढी पर्चे में भारमल पिता नन्दा गुर्जर निवासी आरोली का नाम भी वादी की भूमि पर अतिक्रमी के रूप में था। प्रस्तुत वादपत्र में वादी ने भारमल गुर्जर प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री चाही हैं। जो उचित होकर प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाता हैं।

आदेश

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा आरोली स्थित आराजी नम्बर 978/19 रकबा 5–00 बीघा किस्म बंजड से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक **26/06/2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विक्रम पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां

बइजलास श्री विकास पंचोली (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या 66 / 2018

1. श्यामलाल पिता भैरूलाल जाति छीपा उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी माण्डलगढ हाल आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....वादी

बनाम्

2. भारमल पिता नन्दा जाति गुर्जर उम्र बालिग व्यवसाय काश्त निवासी आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 26.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता वादी / श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीयां डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा आरोली स्थित आराजी नम्बर 978 / 19 रकबा 5–00 बीघा किस्म बंजड से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

नीज ....Nil.............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 06 वर्ष 2019 को जारी किया गया ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां-भीलवाड़ा

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner